

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 129 / 15

संस्थापन दिनांक:-19 / 03 / 15

फाईलिंग नं. 233504003402015

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

रायबू पिता पंचम परते  
 उम्र 30 वर्ष, निवासी मोरनढाना,  
 थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 19.05.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 17.02.2015 को रात करीब 08:05 बजे ग्राम मोरनढाना चिंटू गोंड के घर के पास थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत आहत पाताबाई को कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी हेमराज ने दिनांक 17.02.2015 को थाना आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि शाम 6.30-7 बजे गांव आते वक्त उसकी मां पाताबाई को उसके काका का लड़का अभियुक्त रायबू ने खूब मां बहन की गंदी गंदी मादरचोद बहनचोद की गालियां देकर पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी से चिंटू गोंड के घर के पास मारपीट किया। अभियुक्त ने उसकी मां को जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 75/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक कुल्हाड़ी मय बेसा के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के

परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.02.2015 को रात करीब 08:05 बजे ग्राम मोरनढाना चिंटू गोंड के घर के पास थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत आहत पाताबाई को कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

### **।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

6 पाताबाई (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना वर्ष 2015 की उसके गांव मोरनढाना की है। जैसे ही वह चिंटू के घर के पास पहुंची तो रास्ते पर अभियुक्त खेतीबाड़ी की बात पर से उसे गाली देने लगा और इसी बात पर से उनके बीच विवाद हुआ था। अभियुक्त ने उसे धक्का दे दिया था जिससे गिरने में रास्ते में पड़ी लकड़ी लगने से उसे कान के पास चोट आयी थी और हाथ पैर में खरोच आयी थी। साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने पर साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसे कुल्हाड़ी से मारा था। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि धक्का मारकर भाग गया था जिससे वह गिर गयी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने इस बात को सही बताया है कि अभियुक्त ने उसे कुल्हाड़ी से नहीं मारा था और उनके बीच वाद विवाद झूमा झटकी हुई थी। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि झूमा झटकी में गिरने से उसे चोट आयी थी।

7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ विवाद किया जाना तथा विवाद में हुई झूमा झटकी से गिरने से फरियादी को चोट आना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में राजीनामा आवेदन स्वीकार कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है परंतु अभियुक्त द्वारा फरियादी को

कुल्हाड़ी से मारपीट कर चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने आहत पाताबाई को कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त रायबू को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9 प्रकरण में जप्त सुदा एक लोहे की कुल्हाड़ी मय बेसा के अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)